कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्य प्रदेश)

क्रमांक / 3922/आर0डी0एम0 / 2020 कटनी दिनांक– 05– 05–2020

–:: संशोधन::–

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

––00––––

भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश कमांक 40–3 / 2020-DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 के परिपालन में धारा 144, द.प्र.सं. 1973 के तहत कार्यालीन आदेश कमांक 3874 / आर.डी.एम / 2020 / कटनी दिनांक 03.05.2020 जारी किया गया था, जिसकी **कंडिका 11 एवं 12 निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, यह आदेश कार्यालीन आदेश कमांक 3874 / आर.डी.एम / 2020 / कटनी दिनांक 03.05.2020 का भाग होगा–**

सभी प्रकार के निजी / व्यवसायिक / अर्द्धव्यवसायिक प्रतिष्ठानों **(सैलून, पान, गुटखा की दुकानो को छोडकर)** खोले जाने की अनुमति आगामी आदेश तक के लिए होगी जैसे– इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रीकल्स, आई टी, खाद्यान, जनरल स्टोर्स, कपडे की दुकान, फूट वियर, मिष्ठान भण्डार, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एवं अन्य प्रकार के आवश्यक / गैर आवश्यक वस्तुओ के प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे। **जिसका निम्न शर्तो के अधीन खुलने का समय सुबह 07:00 बजे से सायं 04:00 बजे रहेगा–**

1. किसी भी दुकान / प्रतिष्ठान में 05 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नही होगी।
2. सभी व्यक्तियों को नियमित मास्क / हैण्ड सैनेटाइजर उपयोग करना होगा।
3. सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. रेस्टारेंट एवं मिष्ठान भण्डारों के खाद्य पदार्थ के निर्माण उपरांत विकय कर पैक कर ग्राहको को उपलब्ध कराने तथा होम डिलेवरी की प्राथमिकि अनुमति होगी। दुकानो के अंदर एवं बाहर बैठकर खाने की अनुमति नही होगी। लोगो का जमाव न हो तथा शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन हो यह सुनिश्चित हो।
4. होम डिलीवरी को प्राथमिकता दिया जावेगा।
5. सार्वजनिक जगहो पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाये जाने पर 1000 / – रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(शशि भूषण सिंह)(IAS)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला –कटनी

क्रमांक / 3922/आर0डी0एम0 / 2020 कटनी दिनांक– 05– 05 –2020

प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

01:– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन / गृह / स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

02:– कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03:– पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। एवं समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुये आदेश एवं निर्देश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

04:– अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटनी की ओर सूचनार्थ।

05:– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06:– उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी / विजयराघवगढ / बहोरीबंद / ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आदेश निर्देशो का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

07:– तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी / रीठी / बड़वारा / बरही / विजयराघवगढ / बहोरीबंद / ढीमरखेडा / स्लीमनाबाद

08:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09:– आयुक्त नगर पालिक निगम / नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ,बरही की ओर सूचनार्थ।

10:– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जिला कटनी की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11:– जिला आपूर्ति अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12:– जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला –कटनी

Scanned with CamScanner